**धारा 151, सि. प्र. सं. के अधीन आवेदनपत्र**

न्यायालय मुन्सिफ.............

सिविल प्रकीर्ण मामला सं................सन्............

**अबक**  ........ आवेदक

बनाम

**कखग**  ......... प्रत्यर्थी

श्रीमान् जी

आवेदक निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है

1. यह कि आदेश 39 नियम 2-क के अधीन न्यायालय जिसमें वाद चल रहा है उस आदेश एवम् नियम के अधीन विविध मामलों को निर्णीत करने की अधिकारिता रखता है और मूलवाद के अभिलेख से अभिलेख का निरीक्षण के पश्चात, 2-8-80 को वादी की नोटिस में आया है कि X| अतिरिक्त मुन्सिफ आगरा, वह न्यायालय है जिसको मूलवाद विद्वान जिला न्यायाधीश, आगरा द्वारा स्थानांतरित किया गया है और 27-11-79 को वादी के व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया और उस तारीख पर उस न्यायालय में हाजिर हो जाने पर प्रतिवादी के पास वाद की खारिजी की जानकारी की है और उसको मूलवाद के खारिजी के बारे में किसी भी अग्रिम सूचना की आवश्यकता पड़ती है।

2. यह कि इस विद्वान न्यायालय के पास उपर्युक्त सिविल प्रकीर्ण मामले को सुनने एवम् निपटाने की तदनुसार अधिकारिता नहीं रखता है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह सादर प्रार्थना की जाती है कि विद्वान् न्यायालय निपटारा करने के लिए.... की उपर्युक्त सिविल प्रकीर्ण मामले के अभिलेख को स्थानांतरित कर दें।

दिनांक................आवेदक के लिए अधिवक्ता

चूकि सभी तथ्य न्यायालय के अभिलेख पर है इसलिए ऐसे रूप में आवेदन पत्र के समर्थन में किसी भी शपथपत्र की अपेक्षा नहीं की जाती है।

**ओ. पी. तिवारी & कं.**

**आवेदक के लिए**

**अभिलेख पर अधिवक्ता**